

प्रारूप-2

{ नियम 8 के उप-नियम (4) देखिए }

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, टोक (राजस्थान)

कनाक : जिलील / प्राशि / टोक / आरटीई ना० / 2013-14 / 2 682

दिनांक : 5.8.2013

मदरलैण्ड चिल्ड्रस एकेडमी माठविं (आयुंजी माध्यम) टोक

विषय :— नियम 8 के उप-उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन 28.02.2012 और इस संबंध में विद्यालय के साथ किये गये पश्चायावर्ती पत्र व्यवहार / निरीक्षण के सन्दर्भ में

मैं भाँगीलाल भाँवार, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा टोक (विद्यालय का नाम और पता) मदरलैण्ड चिल्ड्रस एकेडमी माठविं (आयुंजी माध्यम) टोक को आज दिनांक 31.3.2013 से 31.03.2015 तक की कालाधिकि के लिए प्रारम्भिक कक्षाओं (1 से 8) के लिए मान्यता मंजूर करता हूँ।

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा-8 से आगे 1. मान्यता / सम्बद्धता की कोई वाध्यता अन्तर्हित नहीं होगी।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा या अधिकार 27-उपनियम, 2009 (2009 का केन्द्रिय अधिनियम सं0 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के उपलब्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय स्तर, कक्षा-1 में या, अध्यार्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा के की छात्र- संख्या की सीमा तक आस पड़ीर के कमजोर वर्ग और अभाव प्रस्त समूह से संबंधित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपलब्धों वं अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति कीस संहीत नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छठाई प्रक्रिया का पात्र नहीं बनायेगा।
6. विद्यालय आपूर्व के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपलब्धों का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा। कि:- विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निवासित कोई बालक शारीरिक उत्पीड़न का पत्रा नहीं होगा।
- ii. किसी बालक से उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उतीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा।
- iii. प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 23 के
- iv. 2009 के अधिनियम के उपलब्धों के अनुसार निर्यान्तर / विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों का सम्मानित किया जाये।
- v. आवश्यक 2002 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन अधिकारित न्यूनतम अहताओं, सहित भर्ती किये जाये। परन्तु वल्मान अव्यापक जो 2009 के अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अहतारे, नहीं रखते हैं। वे 2009 के अधिनियम की धारा 23 न्यूनतम के उपलब्धों के अनुसार 5 वर्ष की बोर्डिंग के भीतर ऐसी न्यूनतम अहताएँ अंजित करेंगे।
- vii. अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं, और अध्यापक स्वरूप जो जिजीं अध्यापक किसी बालपापों में नहीं लगायेंगे।
- vi. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकारित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यविद्यरण का अनुसरण करेंगे।
8. विद्यालय 2009 की अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट मात्र और मानकों का अनुसरण करेंगे। अन्तिम निरीक्षण के (शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राज्य नियम 2011 के अनुसार आपके विद्यालय में 31.03.2015 तक मानदीय संसाधन पूर्ण करन होंगे।
9. अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उपलब्धों के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेंगी।
10. विद्यालय बचन या अन्य संरचनाएँ या खेल मैदान कोदल शिक्षा और बौशल विकास के परियोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।
11. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1880 (1880 का केन्द्रिय अधिनियम संख्या 21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1968 (1968 का अधिनियम संख्या 28), के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रदूषित किसी विधि से अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा बलाया जाता है।
12. विद्यालय किसी व्यक्ति, व्यविद्यार्थी के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाई जाता है।
13. किसी बाईंड एकाउन्टेन्ट द्वारा लेखों की संपर्का और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा। और नियमों के अनुसार समूचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जायेगा।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या - TNK2013477 है। कृपया इसे नोट किया जायें। और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसे उत्कर्षित किया जायें।
15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देंगा। जिनकी निवेशक प्रारम्भिक शिक्षा / जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निवेशों का पालन करेंगा। जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने वाले विद्यालय नुस्खों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा जारी किये जायें।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।
17. अन्य शर्ते संलग्न परिशिष्ट के अनुसार।

कर्मान्: जिलील / प्राशि / टोक / आरटीई ना० / 2013-14 / 2 682-4

दिनांक: 5.8.2013

प्रतिलिपि:— निम्न का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रयेषित है:—

1. श्रीमान् निजी सचिव, निवेशक (प्रारम्भिक) शिक्षा विभाग राजस्थान शीकानेर।
2. श्रीमान् उप निवेशक (आरटीई) निवेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग राजस्थान शीकानेर।
3. श्रीमान् उप निवेशक प्रारम्भिक शिक्षा अजमेर मण्डल अजमेर।
4. श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक टोक।
5. द्वांक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी।
6. राजित पत्रांवली कार्यालय हाजा।

Principal
Motherland Children Academy
Sec. School, Tonk

सत्य-अतिरिक्त

जिला शिक्षा अधिकारी
(विद्यालय) प्रारम्भिक शिक्षालय

M. M. Patel
Secretary
Motherland Education Soc.
Tonk, RAJ.

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, टोक

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक-शिक्षा, टोंक
कार्यालय आदेश

मान्यता हेतु आदेश

संस्था का नाम व पता मॉर्थलैण्ड एज्युकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को
राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्था मान्यता एवं अनुदान नियम-1993 एवं
तत्पश्चात् किये गये संशोधन के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए
सत्र 2004-2005 से प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर अंडरग्राउंड
(हिन्दी माध्यम) की मान्यता प्रदान की जाती है।

मान्यता नियमों की पालना न करने अथवा सकाम अधिकारी द्वारा निरीक्षण
के समय विपरित स्थिति पाये जाने पर संस्था की मान्यता रद्द की जा सकती
है।

2/02
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, टोंक

फ्रांक: जि.शि. अ./ प्रार./टोंक/सा-2/मान्यता/ 2370

22-4-2004
दिनांक 22-4-2004

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :-

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
2. उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा अजमेर मण्डल अजमेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) टोंक।
4. सम्बद्धित संस्था प्रधान/सचिव मॉर्थलैण्ड एज्युकेशन एडमिनिस्ट्रेशन
5. कार्यालय रक्षित पत्रावली।

Principa
Principal
Motherland Children Academy
Sec.School, Tonk (Raj.)

Secretary
Secretary
Motherland Education Society
Tonk (Raj.)

Principal
Principal
Motherland Children Academy
Sec.School, Tonk (Raj.)

Secretary
Secretary
Motherland Education Society
Tonk (Raj.)

2/02
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, टोंक